FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... नं. ..... सन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत कैम्प कोर्ट ..... पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया कि ..... पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा ..... इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जितेन्द्र कुमार पाण्डे) RAS पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official